न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 11/2023

उनवान

विजय कुमार पुत्र सोहन गुर्जर निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमति आशिफा बानू पत्नी मोहम्मद हुसैन मुसलमान निवासी तहनाल गेट हमालों की मस्जिद के पास शाहपुरा

2– बंशीलाल पुत्र रामलाल दरोगा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा

3– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री दुर्गालाल राजोरा
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **11/09/2023**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 6020 रकबा 0.05 है0** कुल किता **1** रकबा **0.05** हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 29.03.2023 को समस्त विपक्षीगण के सम्मन अदम तामिल लौटे। जिससे प्रकरण विपक्षीगण की तलबी के नियत किया गया। दिनांक 05.06.2023 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की तलबी हेतु पुनः प्रोसेस सम्मन प्रस्तुत किये गये। दिनांक 12.06.2023 को विपक्षीगण सं0 1, 2 के सम्मन अदम तामिल लौटे विपक्षी सं0 02 की मृत्यु होना तामिल कुनिन्दा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया। प्रकरण विपक्षी सं0 01 की तलबी एवं विपक्षी सं0 2 के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के नियत किया गया। दिनांक 19.06.2023 को विपक्षीगण सं0 01 की पुनः तलबी हेतु प्रोसेस सम्मन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 28.06.2023 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 जा0दी0 के प्रस्तुत किया गया। प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 के सुनवाई के नियत किया गया। दिनांक 18.07.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं0 1 की तलबी हेतु तामिल अखबार में साया कराये जाने की इजाजत दी गयी। दिनांक 21.08.2023 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अखबार में प्रकाशित कराये गये नोटिस की असल अखबार की प्रति मय शुल्क रसीद के प्रस्तुत की गयी। विपक्षी सं0 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी सं0 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल लाई गयी। दिनांक 11.09.2023 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा विपक्षी सं0 2 के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से विपक्षी सं0 02 विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **शाहपुरा** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् किता **1 रकबा 0.05 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **11/09/2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा